रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 148] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 19, 2018/फाल्गुन 28, 1939
No. 148] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 19, 2018/PHALGUNA 28, 1939

IndiaCode

विधि और न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2018

सा.का.नि. 238(अ).—उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 (1958 का 41) की धारा 24 की उपधाराओं (1) और (2) के साथ पठित धारा 23 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरका र उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश नियम, 1959 में और संशोधन करने हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती ह□—

1. (1) इन नियमों को उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (संशोधन) नियम, 2018 कहा जाए ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश नियम, 1959 के नियम 4 ख में "5,00,000/-रुपए (रुपए पाँच लाख मात्र)" और "4,00,000/-रुपए (रुपए चार लाख मात्र)" शब्दों एवं अंकों के स्थान पर क्रमशः "10,00,000/-रुपए (रुपए दस लाख मात्र)" और "8,00,000/-रुपए (रुपए आठ लाख मात्र)" शब्द एवं अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा.सं. एल-11016/1/2018-न्याय]

एस. सी. बर्मा, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी: मुख्य नियम दिनांक 4 अगस्त, 1959 की सा.का.नि. संख्या 935 के तहत भारत के राजपत्र के भाग-II, खंड 3, उपखंड (i), पृष्ठ 1161 [गृह मंत्रालय संख्या 15.6.58-न्यायिक-I] में प्रकाशित किए गए थे तथा बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :–

1. सा.का.नि. सं. 1/34/74-न्याय, दिनांक 18.12.1974
2. सा.का.नि. सं. 634 दिनांक 22.04.1976
3. सा.का.नि. सं. 854 दिनांक 1.8.1980
4. सा.का.नि. सं. 1176 (अ) दिनांक 4.11.1986

5. सा.का.नि. सं. 680 (अ) दिनांक 12.11.1991

6. सा.का.नि. सं. 698 (अ) दिनांक 25.11.1991

7. सा.का.नि. सं. 559 (अ) दिनांक 27.05.1992

8. सा.का.नि. सं. 779 (अ) दिनांक 25.09.1992

9. सा.का.नि. सं. 381 (अ) दिनांक 24.04.1993

10. सा.का.नि. सं. 444 (अ) दिनांक 10.05.1994

11. सा.का.नि. सं. 717 (अ) दिनांक 03.11.1995

12. सा.का.नि. सं. 880 (अ) दिनांक 24.12.2008

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Justice)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 2018.

G.S.R. 238(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 23 read with sub-sections (1) and (2) of Section 24 of the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1958 (41 of 1958), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Supreme Court Judges Rules, 1959, namely:-

1. (1) These rules may be called the Supreme Court Judges (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Supreme Court Judges Rules, 1959, in rule 4B, for the letters, figures, "Rs.5,00,000/- (Rupees five lakhs only)" and "Rs. 4,00,000/- (Rupees four lakhs only)", the letters, figures, "Rs. 10,00,000/- (Rupees ten lakhs only)"and "Rs. 8,00,000/- (Rupees eight lakhs only)"shall respectively be substituted.

[F.No.L-11016/1/2018-Jus]

S.C. BARMMA, Jt. Secy.

Foot Note : The principal rules were published *vide* notification number GSR 935, dated 4th August, 1959, in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) page 1161 [Ministry of Home Affairs No.15.6.58-Judl-I] and subsequently amended by :-

1. G.S.R. No.1/34/74-Jus (1) dated 18.12.1974

2. G.S.R. No.634 dated 22.4.1976

3. G.S.R. No.854 dated 1.8.1980

4. G.S.R. No.1176 (E) dated 4.11.1986

5. G.S.R. No.680 (E) dated 12.11.1991

6. G.S.R. No.698 (E) dated 25.11.1991

7. G.S.R. No.559 (E) dated 27.5.1992

8. G.S.R. No.779 (E) dated 25.9.1992

9. G.S.R. No.381 (E) dated 24.4.1993

10. G.S.R. No.444 (E) dated 10.5.1994

11. G.S.R. No.717 (E) dated 3.11.1995

12. G.S.R. No.880 (E) dated 24.12.2008

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2018

सा.का.नि. 239(अ).—उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 (1954 का 28) की धारा 24 की उपधाराओं (1) और (2) के साथ पठित धारा 23 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार उच्च न्यायालय न्यायाधीश नियम, 1956 में और संशोधन करने हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती ह□—

1. (1) इन नियमों को उच्च न्यायालय न्यायाधीश (संशोधन) नियम, 2018 कहा जाए ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. उच्च न्यायालय न्यायाधीश नियम, 1956 के नियम 2-ख में "4,00,000/-रुपए (रुपए चार लाख मात्र)" और "3,00,000/-रुपए (रुपए तीन लाख मात्र)" शब्दों एवं अंकों के स्थान पर क्रमशः "8,00,000/-रुपए (रुपए आठ लाख मात्र)" और "6,00,000/-रुपए (रुपए छः लाख मात्र)" शब्द एवं अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा.सं. एल-11016/1/2018-न्याय]

एस.सी. बर्मा, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी: मुख्य नियम दिनांक 24 जनवरी, 1956 की का.नि.आ. सं. 224 के तहत भारत के राजपत्र के 1956 भाग-II, खंड 3, पृष्ठ 106 में प्रकाशित किए गए थे तथा बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए:—

1. का.नि.आ. सं. 707 दिनांक 28.2.1957
2. सा.का.नि. सं. 497 दिनांक 13.3.1970
3. सा.का.नि. सं. 366 (अ) दिनांक 11.7.1972
4. सा.का.नि. सं. 562 दिनांक 21.4.1979
5. सा.का.नि. सं. 1015 दिनांक 21.7.1979
6. सा.का.नि. सं. 1175 (अ) दिनांक 4.11.1986
7. सा.का.नि. सं. 299 (अ) दिनांक 18.3.1987
8. सा.का.नि. सं. 718 (अ) दिनांक 4.12.1991
9. सा.का.नि. सं. 698 (अ) दिनांक 31.7.1992
10. सा.का.नि. सं. 721 (अ) दिनांक 26.11.1993
11. सा.का.नि. सं. 558 (अ) दिनांक 29.6.1994
12. सा.का.नि. सं. 720 (अ) दिनांक 3.11.1995
13. सा.का.नि. सं. 879 (अ) दिनांक 24.12.2008

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 2018

G.S.R. 239(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 23 read with sub-sections (1) and (2) of section 24 of the High Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1954 (28 of 1954), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the High Court Judges Rules, 1956, namely:-

1. (1) These rules may be called the High Court Judges (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

IndiaCode

2. In the High Court Judges Rules, 1956, in rule 2B, for the letters, figures "Rs.4,00,000/- (Rupees four lakhs only)" and "Rs.3,00,000/- (Rupees three lakhs only)", the letters, figures, "Rs.8,00,000/- (Rupees eight lakhs only)"and "Rs.6,00,000/- (Rupees six lakhs only)" shall respectively be substituted.

[F.No. L-11016/1/2018-Jus]

S. C. BARMMA, Jt. Secy.

Foot Note: The principal rules were published *vide* notification number S.R.O. 224, dated 24th January, 1956, in the Gazette of India, 1956 Part II, Section 3, page 106. Subsequently amended by:-

1. S.R.O. No.707 dated 28.2.1957
2. G.S.R. No. 497 dated 13.3.1970
3. G.S.R. No.366 (E) dated 11.7.1972
4. G.S.R. No.562 dated 21.4.1979
5. G.S.R. No.1015 dated 21.7.1979
6. G.S.R. No.1175 (E) dated 4.11.1986
7. G.S.R. No.299 (E) dated 18.3.1987
8. G.S.R. No.718 (E) dated 4.12.1991
9. G.S.R. No.698 (E) dated 31.7.1992
10. G.S.R. No.721 (E) dated 26.11.1993
11. G.S.R. No.558 (E) dated 29.6.1994
12. G.S.R. No.720 (E) dated 3.11.1995
13. G.S.R. No.879 (E) dated 24.12.2008

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.03.26 12:35:13 +05'30'